षोडश बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-04 बृहस्पतिवार, दिनांक-29 नवम्बर, 2018 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.15 बजे पूर्वा० तक

[1] सभा पटल पर कागजात का रखा जाना :-

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के कुल 163 अनागत तारांकित प्रश्नों के उत्तर को सदन पटल पर रखा गया ।

[2] अन्य चर्चा :-

माननीय नेता विरोधी दल द्वारा कहा गया कि सामान्यतया सदन में उनका माईक बन्द रहने की वजह से राज्य की कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कही गई उनकी बातें कार्यवाही का हिस्सा नहीं बन पा रही है । साथ ही विपक्ष की ओर से प्रस्तावित कार्यस्थगन प्रस्ताव को आसन से मंजूर करने का आग्रह भी किया गया ।

"आसन द्वारा स्पष्ट किया गया कि शुरू से स्थापित परम्परा है कि जो कोई माननीय सदस्य, नेता विरोधी दल या सदन नेता अगर बोलते हैं तो वे आसन की इजाजत से हीं बोलते हैं । इनका माईक कोई बन्द नहीं कर सकता है, अगर ऐसा कहीं हुआ है कि माननीय नेता विरोधी दल आसन की इजाजत से या आसन मुखातिब हैं और उनके द्वारा अपनी बात कही जा रही है वैसी स्थिति में कोई चीज कार्यवाही में नहीं गई है तो आप आसन के संज्ञान में उसे लाइये, हम उसपर निश्चित रूप से उचित कार्रवाई करेंगे । अगर आप कार्यस्थगन की सूचना बताना चाहते हैं तो उसका नियमावली में समय का प्रावधान किया गया है । अभी तो आप ही लोगों का प्रश्न है, सब जनहित से जुड़े मुद्दे हैं इसलिए सदन को चलने दें । आसन तो इतना ही चाहता है कि सदन नियमसंगत ढंग से चले । आसन मानता है कि आप जनहित के ही मुद्दे उठाते हैं लेकिन उसपर सरकार का भी उत्तर लिया जाय ताकि उसका निराकरण करने में सहयोग मिले । यह सदन एक विमर्श का केन्द्र है उसपर कोई विधिवत ढंग से जनसमस्याओं को अन्तिम निष्कर्ष तक पहुँचाने में सहयोग करें । सिर्फ समस्या उठाकर के सदन अव्यवस्थित हो जाय, उससे तो जनता का कोई हित नहीं होगा, इसलिए आसन का सभी माननीय सदस्यों से यही अनुरोध है कि **यह सदन सार्थक विमर्श का सदन है,** विमर्श से ही जनहित के मुद्दों पर निष्कर्ष निकालते हैं, इसलिए अर्थपूर्ण विमर्श करें, जनहित के मामले में निष्कर्ष निकालें ताकि बात आगे बढ़ सके ।"

माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि जनहित के मुद्दे कार्यसूची में सूचीबद्ध हैं इसलिए सदन को चलने दें ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी मांगों को लेकर शोरगुल करने लगे ।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने-अपने आसन पर जाने का अनुरोध किया गया ।

परन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 02.12 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[3] सभा पटल पर कागजात का रखा जाना :-

(i) माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''राज्य का वित्त'' तथा ''राजस्व प्रक्षेत्र'' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति को सभा पटल पर रखा गया ।

(ii) माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि बिहार सरकार का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन ''राज्य का वित्त'' तथा ''राजस्व प्रक्षेत्र'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो । इस पर सदन की सहमति हुई ।

(iii) माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-182, दिनांक-25.05.2018 की प्रति को सभा पटल पर रखा गया ।

(iv) माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-148,149, दिनांक-07.03.2018 / एस०ओ०-154, 155, 156, 157, 158, दिनांक-23.03.2018 / एस०ओ०-159, दिनांक- 26.03.2018 / एस०ओ०-160, दिनांक-27.03.2018 / एस०ओ०-163, 164, दिनांक-03.04.2018 / एस०ओ०-179, दिनांक-18.04.2018 / एस०ओ०-180, दिनांक-19.04.2018 / एस०ओ०-181, दिनांक-14.05.2018 / एस०ओ०-183, 184, दिनांक-28.05.2018 / एस०ओ०-185, 186, दिनांक-13.06.2018 / एस०ओ०-188, दिनांक-19.06.2018 / एस०ओ०-203, 204, दिनांक-29.06.2018 एवं एस०ओ०-205, दिनांक-06.07.2018 की एक-एक प्रति को सभा पटल पर रखा गया ।

[4] समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन :-

(i) माननीय सभापति लोक लेखा समिति, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा समिति का 673वाँ, 674वाँ, 675वाँ, 676वाँ, 677वाँ, 678वाँ, 679वाँ, 680वाँ, 681वाँ, 682वाँ, 683वाँ, 684वाँ, 685वाँ एवं 686वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा पटल पर रखा गया ।

(ii) माननीय सभापति अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति, श्री श्याम रजक द्वारा समिति के 34वें प्रतिवेदन की प्रति को सभा पटल पर रखा गया ।

(iii) माननीय सभापति राजकीय आश्वासन समिति, श्री अजय कुमार मंडल द्वारा समिति का 254वाँ एवं 265वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा पटल पर रखा गया ।

[5] वित्तीय कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग [आपदा प्रबंधन विभाग)] पर वाद-विवाद तथा मतदान :-

माननीय प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित अनुदान की माँग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव एवं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दिए गये कटौती के प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए अनुदान की मांग पर विमर्श मूल प्रस्ताव के आधार पर ही प्रारंभ हुआ । अनुदान की मांग एवं कटौती के प्रस्ताव पर वाद-विवाद में माननीय सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव द्वारा अपना पक्ष रखा गया ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये ।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से बार-बार अनुरोध किया गया कि वे अपनी बातों को अपने-अपने स्थान पर जाकर कहें ।

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 04:55 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

स्थगनोपरान्त

(04.55 बजे अप० से 05.09 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

माननीय प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा वाद-विवाद का सरकार की ओर से उत्तर दिया गया ।

तत्पश्चात् आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ ।

तदोपरान्त् वर्ष 2018-19 का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शेष अनुदान की मांगे बारी-बारी से गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा सदन से स्वीकृत हुआ ।

[6] राजकीय (वित्तीय) विधेयक :-

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 :-

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक के विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खण्डश: विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खण्ड इस विधेयक के अंग बनें ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

तदोपरान्त् विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[7] निवेदन :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल-110 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मागों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से बार-बार अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया, किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-29.11.2018

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।